पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता: महिला आरक्षण में विशेष संदर्भ में

***डॉ. कमलेश कुमार टांक**

सारांश

भारतीय लोकतान्त्रिक व्यस्था का मूल आधार पंचायती राज व्यवस्था रही है। सभ्य समाज की स्थापना से ही मनुष्यों ने जब समूहों में रहना सीखा, पंचायत राज के आदर्श एवं मूल सिद्धांत उसकी चेतना में विकसित होते आये है। ओपचारिक राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी महिलाओं कि वर्तमान शक्ति एवं स्थिति की शर्त ही नहीं; बल्कि सूचक भी है तथा महिलाओं के अधिकारों एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक भी है। महिलाओं के लिए निर्वाचन या राजनीतिक दलों, सामाजिक आन्द्लोनो या प्रद्रशनो जैसे ओपचारिक राजनीतिक कार्यकलापों में भाग लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि स्थानीय स्तर पर राजनीतिक भागीदारी एवं अन्य स्तरों पर व्यवस्था में भागीदारी द्वारा ही उनका सशक्तिकरण किया जा सकता है। प्रस्तुत शोध पत्र इन्हीं बातों को रेखांकित करते हुए पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता का विस्तृत विश्लेषण करते हुए उसे पंचायतीराज संस्थाओं में महिला आरक्षण के संदर्भ में देखने का प्रयास करता है। यह शोध पत्र द्वितीयक स्रोतों पर आधारित होकर महिलाओं की वर्तमान राजनीतिक स्थिति का आलोचनात्मक विवेचन प्रस्तुत करता है।

कुंजी शब्द: राजनीतिक सहभागिता, महिला आरक्षण, पंचायतीराज, राजनीतिक संस्थाएं।

*अतिथि व्याख्याता, राजनीति विज्ञान विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर|

I. प्रस्तावना:

हमारे देश की आधी आबादी का गठन करने वाली महिलाएँ सामाजिक-जीवन के सामाजिक क्षेत्रों में अपने योगदान के कारण मुख्यतः हमारी सामाजिक संरचना का एक अभिन्न अंग रही हैं। इस तथ्य के साथ नहीं कि भारतीय समाज में प्रचलित पितृसत्तात्मक मूल्यों के लिंग पूर्वाग्रह के कारण भारत में महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। प्रमुख पितृसत्ता ने सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति और अवसरों की समानता से इनकार किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान एक सामाजिक क्रांति पर विचार करता है, कानून के उपयोग के माध्यम से निर्देशित सामाजिक परिवर्तन का एक साधन है। महिलाओं के लिए स्थिति समानता के लिए प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में निहित विशिष्ट उद्देश्यों में से एक थी।

आर्थिक और सामाजिक असमानताओं के साथ भारतीय समाज की विषम प्रकृति महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करती है। कई उपायों के बावजूद भारत में महिलाओं की स्थिति वंचित स्थिति में है। 1974 में महिलाओं की स्थिति पर समिति ने एक महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किया जिसमें महिलाओं की घटती स्थिति, भूमिका और भागीदारी पर प्रकाश डाला गया। रिपोर्ट ने खुलासा किया कि भारत में बहुसंख्यक महिलाओं को संविधान द्वारा उन्हें दिए गए अधिकारों और अवसरों का आनंद नहीं मिला।

सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवस्था ने परिवार और समाज में उनकी भूमिका को सीमित कर दिया और उन्हें राजनीति के पिछवाड़े में रखा। भारत गाँवों का देश है जहाँ गरीबी दर बहुत अधिक है। ग्रामीण महिलाएं सबसे ज्यादा वंचित स्थिति में हैं। देश की कुल महिला आबादी का लगभग 75% ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। मानव विकास संकेतक

के किसी भी माध्यम से, ग्रामीण महिलाओं को उसके शहरी समकक्ष की तुलना में नुकसान होता है। ग्रामीण महिलाओं के लिए सूचना, संपत्ति और जीवन के अवसर कम हैं। उनकी उत्पादक और प्रजनन भूमिकाएँ काफी हद तक अदृश्य रहती हैं। भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए जीवन के हर पहलू में सशक्तिकरण ही एकमात्र उत्तर है। रणनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी जैसे सभी मोर्चों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना है।

भारत में महिलाएं अभी भी पुरुष वर्चस्व के तनाव के दौर से गुजर रही हैं इसलिए भारत के विकास के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है। निर्णय लेने में महिलाओं की समान भागीदारी न केवल सरल न्याय या लोकतंत्र की मांग है, बल्कि महिलाओं के हित के लिए आवश्यक शर्त के रूप में भी देखा जा सकता है। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और निर्णय के सभी स्तरों पर महिलाओं के दृष्टिकोण को शामिल करे बिना समान विकास और शांति के लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता है। विकास प्रक्रिया में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी को हमेशा संपूर्ण विकास का एक अभिन्न अंग माना गया है।

प्राचीन समय से ही भारत में महिलाओं का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। आजादी के बाद भी महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो या कला, साहित्य, सुरक्षा, खेल इत्यादि सभी क्षेत्रों में आगे हैं। सरकारें भी उन्हें आगे बढ़ने के लिए कई कदम उठा रही हैं। जिससे वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और समाज में बदलाव ला सकें।

II. संवैधानिक प्रावधान:

'पंचायत', "स्थानीय सरकार" होने के नाते, एक राज्य का विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का हिस्सा है। संविधान के अनुच्छेद 243-

डी का खंड (3) प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या और पंचायतों के अध्यक्षों के कार्यालयों की संख्या में से महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई आरक्षण अनिवार्य करके पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करता है। भारत के पंचायतीराज मंत्रालय के अनुसार देश के 20 राज्य यथा; आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने अपने पंचायतीराज अधिनियमों में पंचायतीराज संस्थानों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया है।

इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 243 डी के खंड (4) के अनुसार, गांव या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के कार्यालय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए विधानमंडल की तरह आरक्षित होंगे। कोई राज्य कानून द्वारा यह प्रावधान कर सकता है कि किसी भी राज्य में प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अध्यक्षों के पदों की संख्या, यथासंभव, समान अनुपात में होगी। प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में ऐसे कार्यालयों की कुल संख्या, जितनी राज्य में अनुसूचित जाति या राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या से संबंधित है,बशर्ते कि प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या का एक तिहाई से कम नहीं महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा|

III. पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण:

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायती राज अधिनियम-1992 महिलाओं के लिए एक वरदान के रूप में उभरी है इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में इस कानून लागू होने से महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हुआ है।

आपको बता दें, संविधान के 73वें संशोधन-1992 में महिलाओं को पंचायतों में एक तिहाई (33%) आरक्षण दिया गया है। वर्तमान समय में इस आरक्षण को कई राज्यों ने इस सीमा को बढ़ाकर 50% तक दिया है। यही कारण है कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका और भागीदारी बढ़ी है।

एक ओर जहाँ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाए घूंघट में रहने के लिए विवश थी उन्हें पंचायतों में बोलने का बहुत कम अधिकार था। वे अपने पति, पिता या अन्य रिश्तेदारों पर निर्भर रहना पड़ता था। महिलाओं की समस्या पर वे खुद नहीं बोल पाती थीं। लेकिन आज का समाज भी बदल रहा है और उन्हें इसके लिए अधिकार भी मिल रही है।

पहली बार 1959 में जब पंचायतों के विकास के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया तो इस समिति ने महिलाओं के लिए भी भागीदारी की बात की। समय-समय पर महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। लेकिन पंचायतीराज अधिनियम-1992 ग्रामीण भारत की महिलाओं की सशक्तिकरण में मील की पत्थर साबित हुई है। वर्तमान समय में हमें प्रत्येक क्षेत्र में महिलाऐं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती चली आ रही हैं। वैश्वीकरण की इस दौड़ में महिलाऐं पुरूषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं।

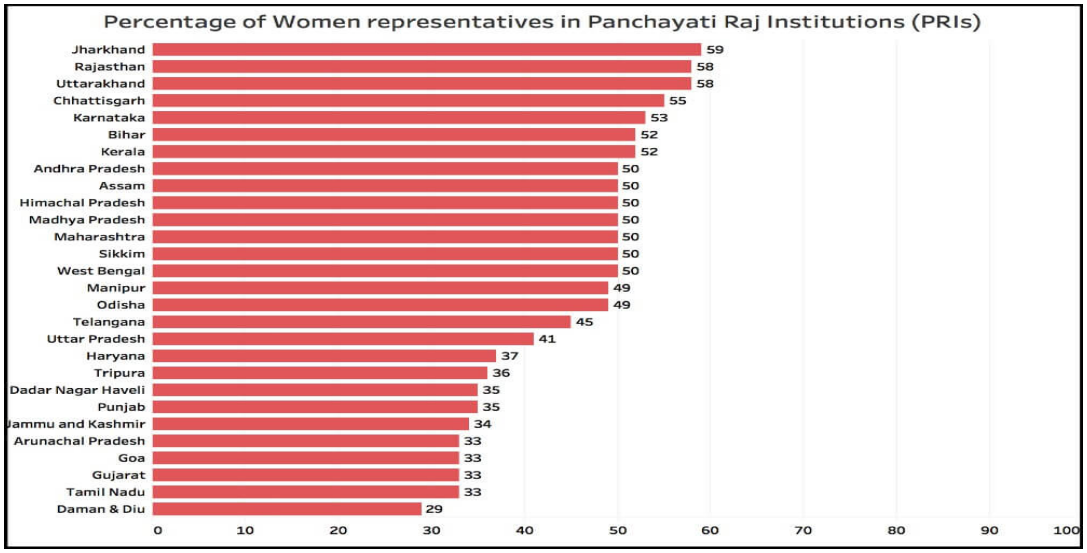

स्रोत: पीआईआरएस रिपोर्ट, नई दिल्ली

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि पंचायतीराज अधिनियम लागू होने के बाद भारत के 14 राज्यों में पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 50%-58% है। 58% के साथ झारखंड सबसे आगे है, उसके बाद राजस्थान और उत्तराखंड हैं।

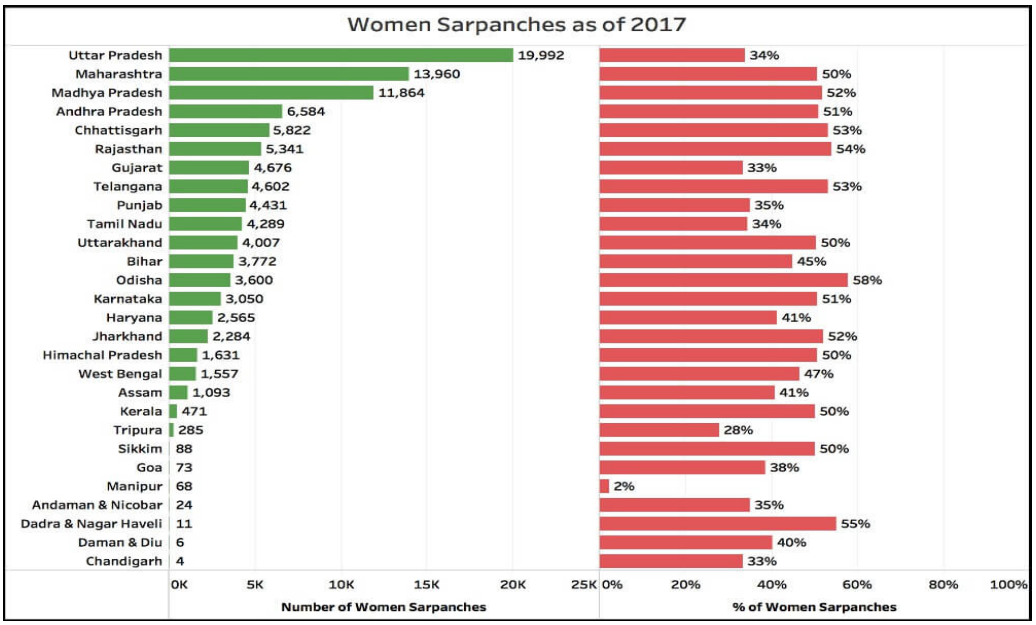

स्रोत: पीआईआरएस रिपोर्ट, नई दिल्ली

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि उत्तर प्रदेश में महिला सरपंचों की संख्या सबसे अधिक 19,992 है, लेकिन कुल सरपंचों का केवल 34% है। ओडिशा राज्य में 3600 महिला सरपंच हैं, जो कुल संख्या का औसत 58% है। मणिपुर में केवल 2% प्रतिनिधित्व के साथ महिला सरपंचों का प्रतिशत सबसे कम है। जबकि राजस्थान में महिला सरपंचों की कुल संख्या 5341 है जो राज्य के कुल सरपंचों का लगभग 54 प्रतिशत है।

73वें संविधान के बाद पंचायती राज में महिला आरक्षण से महिलाओं की स्थिति में निरन्तर बदलाव आ रहा है। इससे पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। आज देश में 2.5 लाख पंचायतों में लगभग 32 लाख प्रतिनिधि चुन कर आ रहे हैं। इनमें से 14 लाख से भी अधिक महिलाएं है। जो कुल निर्वाचित सदस्यों का 46.14 प्रतिशत है। पंचायती राज के माध्यम से अब लाखों महिलाएं राजनीति में हिस्सा

ले रही हैं। बालिक शिक्षा के प्रति सोच सकारात्मक हुई है और इसके प्रति लोगों की रूचि बढ़ रही है। आरक्षण के कारण महिलाएं अपने अधिकारों व अवसरों का लाभ उठा रही है। भारतीय समाज में महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक हालत में सुधार व बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। पुरूषों के साथ कदम के कदम मिलाकर विकास कार्यों में सहभागिता बढ़ रही है।

महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आत्म-सम्मान का विकास हुआ है। अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण के कारण राजनैतिक क्षेत्रों में कदम रखने का अवसर प्राप्त हुआ है। अतः कहा जा सकता है कि आरक्षण की व्यवस्था के कारण पंचायती राज में ही नहीं बल्कि देश के सभी वर्गों की महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से महिलाओं का जीवन बहुत प्रभावित हुआ है। सही मायने में पंचायती राज ने महिलाओं को समाज का एक विशेष सदस्य बना दिया है|

IV. महिलाओं के समक्ष चुनौतियां:

भारतीय समाज में महिलाओं को अभी और आगे आने की जरूरत हैं। विभिन्न अधिकार और आरक्षण प्राप्त होने के बावजूद, आज पंचायतों में महिलाओं की जगह उनके पति, पुत्र, पिता या रिश्तेदार उनकी भूमिका निभाते नजर आते हैं। अधिकतर निर्वाचित महिलाओं को निर्वाचक सदस्य होने के विषय में पूर्ण जानकारी भी नहीं है। ग्राम सभा की बैठकों में वे मूकदर्शक बनी रहती है, और उनके रिश्तेदार ही पंचायत के कामों का संचालन करते हैं। महिलाएं वही करती हैं जो उनके पति और रिश्तेदार कहते हैं। अगर उनसे पंचायतों के बारे में कुछ पूछा जाता है तो वह एक ही वाक्य में अपनी बात समाप्त कर देती हैं।

अब भी कुछ परिवार महिलाओं को पंचायतों में काम करने की स्वीकृति नहीं देते हैं, क्योंकि वे महिला का स्थान घर में समझते हैं, पंचायत में नहीं। भारत के कई राज्यों

में अब भी महिला सरपंचो के पति ही उनके काम संभालते दिख जाएंगे। इस कारण उन्हें 'सरपंच पति' या 'प्रधान पति' जैसे शब्दों से नवाजा जाता है। यहाँ तक कि सभाओं में या अन्य जगहों पर अपने आपको प्रधान पति कहने में अपनी साख समझते हैं। उनका काम तो चुनाव लड़ने की प्रक्रिया से ही शुरू हो जाता है। पुरूष ही चुनावों में वोट माँगते हैं और प्रचार भी करते हैं। चुनाव में एजेंट बनने से मतगणना तक की व्यवस्था अपनी निगरानी में करवाते हैं। चुनाव से पहले और जीतने के बाद महिला प्रतिनिधि केवल हस्ताक्षर करती नजर आती हैं। उनकी तरफ से सारे वायदे और योजनाएं उनके पति ही जनता के सामने पेश करते हैं।

इसके फलस्वरूप स्वस्थ जनप्रतिनिधियों का चुनाव नहीं हो पाता है। शिक्षा और जन-जागरूकता के अभाव में महिला प्रतिनिधियों को ग्राम पंचायत पर सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी नहीं हो पाती है। इस प्रकार महिला प्रतिनिधि हस्ताक्षर करने वाली रोबोट बन कर रह जाती हैं।

V. निष्कर्ष एवं सुझाव:

संक्षेप में कहें तो पंचायती राज व्यवस्था से ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार तो आया है। परन्तु अभी भी पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका इतनी सशक्त नहीं हुई हैं कि इस व्यवस्था में अपनी जोरदार भूमिका निभा सके। इसके लिए महिलाओं को भी निडर होने के साथ-साथ अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना होगा। महिलाओं के मामले में संस्थागत और सामाजिक बाधाओं के कारण प्रभावी भागीदारी अक्सर कम हो जाती है। महिलाओं को सक्रिय भागीदारी में सक्षम बनाने के लिए क्षमता निर्माण के लिए संस्थागत सुधार के साथ-साथ दमनकारी पितृसत्ता, घर और सार्वजनिक क्षेत्रों में महिलाओं के खिलाफ शारीरिक और भावनात्मक हिंसा जैसी मौजूदा शक्ति संरचनाओं को खत्म करने की आवश्यकता होगी। महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को विभिन्न लिंग विशिष्ट बाधाओं का सामना करना पड़ता है। चूँकि अधिक से अधिक

महिलाएँ शासन निकायों में अपना उचित स्थान लेने की आकांक्षा रखती हैं, इसलिए सभी संस्थानों (राज्य, परिवार और समुदाय) के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं जैसे शिक्षा में अंतराल को पाटना, लैंगिक भूमिकाओं पर फिर से बातचीत करना, श्रम का लैंगिक विभाजन और पक्षपाती रवैये को संबोधित करना आदि शामिल है तभी सही मायनों में महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण संभव हो सकेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

- महिपाल. (2019). पंचायत में महिलाऐं: चुनौतियां एवं संभावनाएं. दिल्ली: नेशनल बुक ट्रस्ट.
- अशोक नायक और हर्षित द्विवेदी. (2012). पंचायती राज में ग्रामीण नेतृत्व, महिलाएं एवं राजनीतिक सहभागिता. दिल्ली: राज पब्लिकेशंस.
- सुखबीर सिंह गहलोत. (2012). राजस्थान पंचायती राज कानून. जयपुर: यूनिक ट्रैडर्स.
- आरती शर्मा. (2021). राजस्थान की पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता. दिल्ली: ईविंग्स बुक्स.
- हरीश कुमार खत्री. (2019). भारत में पंचायती राज. भोपाल: कैलाश पुस्तक सदन.
- धर्मवीर चंदेल और नरेंद्र कुमार चंदेल. (2016). पंचायती राज और महिला सहभागिता. जयपुर: अविष्कार पब्लिशर्स.
- वंदना बंसल. (2015). पंचायती राज में महिला भागीदारी. दिल्ली: कल्पज़ पब्लिकेशंस.
- पूरणमल. (2009). नवीन पंचायती राज एवं महिला नेतृत्व. दिल्ली: पॉइंटर्स पब्लिशर्स.
- गौतम भट्टाचार्य. (2013). पंचायती राज: वूमेन पार्टिसिपेशन एंड रूरल डेवलपमेंट. दिल्ली: मनोहर बुक्स.
- लाखाराम चौधरी. (2021). ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थाएं. जयपुर: रावत पब्लिकेशंस.

- नूपुर तिवारी. (2016). पंचायती राज एवं वूमेन एम्पावरमेंट. दिल्ली: न्यू सेंचुरी पब्लिकेशंस.
- विश्वामित्र चौधरी. (2017). भारत में पंचायती राज का उद्भव एवं विकास. दिल्ली: पुष्पांजलि प्रकाशन.
- कुलदीप माथुर. (2013). पंचायती राज: ऑक्सफ़ोर्ड इंडिया शॉर्ट इंट्रोडक्शंस. दिल्ली: ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
- दीपिका अनिल चौधरी. (2019). पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया: इश्यूज एंड चैलेंजेज. दिल्ली: एबीडी पब्लिशर्स.